न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 27/2014/अपील

1. सुण्डाराम पुत्र भुराराम जाति मीणा निवासी खूड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी जरिये सरपंच।
2. मदनलाल पुत्र जगनाराम
3. सोहनलाल पुत्र नोपाराम
4. भंवरलाल पुत्र छोटूराम
5. दीपक कुमार पुत्र सोहनलाल
6. रामकुमार पुत्र मैघाराम

} समस्त जाति बलाई निवासीगण खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 06.06.2014 प्रस्ताव संख्या 2 ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी पं.सं. लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांट श्री सागरमल धायल
वकील रेस्पोडेंट श्री प्रभातीलाल

निर्णय **दिनांकः— 21.05.2018**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट के खाते कब्जे, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 265/1 तन ग्राम खूड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ स्थित है, उक्त आराजी के पश्चिम साईड में हरिजन बस्ती बसी हुई है व उनके आवागमन का रास्ता मौके पर भूमि खसरा नम्बर 265/1 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ता ग्राम खूड़ी बड़ी से नारायण का बास स्टेण्ड पर जाने का मोजूद है व अपीलांट की भूमि मे से मात्र तीन फुट की गेली (पंगडडी) गुजरती है जो हर मौसम में पैदल आवागमन के काम आती रही है व मौके पर चालू है, फिर भी ग्राम पंचायत में रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 6 व अन्य व्यक्तियों ने गलत तथ्य अंकित कर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 265/1 में मौके पर तीन फुट की पंगडडी चालू होते हुए भी मौके पर रास्ता अवरूद्ध किये जाने का वेग आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर योग्य ग्राम पंचायत ने दिनांक 26.05.2014 को अपीलांट के नाम नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने हेतु जारी कर दिया। जिस पर अपीलांट ने जवाब नोटिस प्रस्तुत कर अपने जवाब में अंकित किया कि आपका उक्त नोटिस विरूद्ध तथ्य व विधि विरूद्ध है व ऐसा नोटिस जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है, व नोटिस अस्पष्ट व अपूर्ण है। अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 265/1 में से कोई रास्ता नहीं है, व इससे सम्बन्धित मामनीय सिविल न्यायाधीश (क,ख) लक्ष्मणगढ में वाद संख्या 34/98 जिसका निर्णय दिनांक 17.04.2010 की होकर इस प्रकार डिक्री हुआ ''कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पगडंडी मान्य की गई, उक्त निर्णय व डिक्री की आज तक कोई अपील निगरानी नहीं हुई व उक्त निर्णय अन्तिम होकर अपीलांट के खेत मे केवल पगडंडी मान्य की गई, उक्त जवाब दिये जाने के बाद योग्य ग्राम पंचायत ने विवादित स्थल का मौका देखे बिना व अपीलांट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना व न ही किसी शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए बिना ही दिनांक 09.06.2014 को नोटिस पंचायत बैठक दिनांक 06.06.2014 प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा विरूद्ध कानून अपीलांट को अतिक्रमण हटाने की आज्ञा पारित कर नोटिस इस आशय का जारी कर दिया गया कि आप 7 दिवस में रास्ते का अतिक्रमण हटाकर पंचायत को सूचित करे। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का अवलोकन किए बिना व अपीलांट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना व बिना तारीख पेशी तय किए ही अपना आदेश पारित कर दिया। अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 265/1 मे से होकर पंगडंडी मोजूद है व मौके पर चालू है, जिसमे अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं किया है व उक्त पंगडडी के दोनो तरफ अपीलांट ने मिट्टी की डाल अर्सा 6–7 वर्ष से लगा रखी है उक्त तथ्य पर गौर किए बिना ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी आज्ञा गैर अपील पारित करने में गलती की है। योग्य ग्राम पंचायत को अपीलांट की भूमि में से नया रास्ता कायम करने का अधिकार नही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 265/1 में से 10 फीट रास्ता मांगते हुए माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) लक्ष्मणगढ़ के यंहा सरदाराराम आदि ने दावा अनुवानी सरदाराराम आदि बनाम सुण्डाराम आदि मु.न. 34/98 दायर किया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 पक्षकार थे। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) लक्ष्मणगढ़ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2010 में 10 फीट की सहायता से इन्कार किया है व पगडंडी में बाधा न डालने हेतु प्रतिबन्धित किया है उक्त तथ्य पर गौर किए बिना ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने में गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 06.06.2014 व प्रस्ताव संख्या 2 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया, जो बहस उपरांत न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत खुड़ी बड़ी द्वारा दिनांक 26.05.2014 व दिनांक 09.06.2014 को सुण्डाराम पुत्र भूराराम जाति मीणा निवासी खुड़ी बड़ी को जारी नोटिस में अंकित किया गया है कि पंचायत बैठक दिनांक 06.06.2014 प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा आपको जरिये नोटिस सूचित किया गया कि आपने खसरा नम्बर 265/1 में से होकर जाने वाले राजस्व कटान का रास्ता जो खुड़ी बड़ी से नारायण का बास को जाता है, पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः आप 7 दिवस में रास्ते का अतिक्रमण हटा कर पंचायत को सूचित करे। प्रार्थी सुण्डाराम ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस दिनांक 26.05.2014 के संदर्भ में ग्राम पंचायत को जवाब पेश कर अंकित किया गया कि उक्त नोटिस विरूद्व तथ्य व विरूद्व विधि है। खेत खसरा नम्बर 265/1 में से कोई रास्ता नहीं है जो नारायण का बास को जाता हो। ऐसा कोई रास्ता कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा है। माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) लक्ष्मणगढ़ में वाद संख्या 34/98 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2010 द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से कोई रास्ता नहीं मानकर केवल पगडंडी रास्ता माना गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका

Web Copy - Not Official

सरदाराराम वगै. का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त मौजूदा पगडण्डी रास्ता, जो वाद के पैरा संख्या 1 में बताया गया है, जिसे वादपत्र के सलंग्न मानचित्र में बरंग लाल सुर्ख से दर्शित किया गया है, को वे बन्द या अवरूद्व ना करे तथा वादीगण व अन्य ग्रामवासियों को उस पर से आवागमन करने व उपयोग–उपभोग करने से ना रोके, किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। वादीगण की आज्ञादायी व्यादेश के जरिये वादग्रस्त पगडण्डी को 10 फीट चौड़ी करवाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।" चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 2 में प्रार्थी सुण्डाराम का रास्ते पर अतिक्रमण होना अंकित किया गया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात अनुसार रास्ते की बजाय 'पगडंडी रास्ता' उल्लेखित है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात एवं माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ट खण्ड) लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2010 में विवादित भूमि में से केवल मात्र 'पगडंडी रास्ता' होना बताया गया है न कि रास्ता होना बताया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत खुड़ी बड़ी द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.06.2014 पारित किये जाने से पूर्व विवादित भूमि में प्रचलित रास्ते/पगडंडी के सम्बंध में विधिवत रूप से जांच नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत खुड़ी बड़ी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.06.2014 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official